

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी उरंग, श्री मुक्तसर साहिब पंजाब।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 16.05.2022

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजु अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट, *

--निर्णय--

दिनांक : 11.11.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 4/4 में क्रमांक 13 पर वादी का नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह दर्ज है। राजस्व ग्राम चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 6/6 में क्रमांक 7 पर वादी का नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह दर्ज है। राजस्व ग्राम चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 38/38 में क्रमांक 5 पर वादी का नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह दर्ज है। राजस्व ग्राम चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 51/50 में क्रमांक 5 पर वादी का नाम सुखमन्द सिंह पुत्र अजमेर सिंह दर्ज है। राजस्व ग्राम चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 59/59 में क्रमांक 2 पर वादी का नाम हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम व पता हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर वर्तमान पता:-उरंग, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब है। वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पंजाब एण्ड सिंध बैंक की पासबुक, ओ0बी0सी0 शाखा केसरीसिंहपुर बैंक की पासबुक में वादी का वास्तविक नाम हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह ही अंकित है। वादी को बचपन में मन्दर सिंह के नाम से जाना व पुकारा जाता था। उपरोक्त कृषि भूमि वादी हरमन्दर सिंह को जरिए वसीयत प्राप्त हुयी है, जिसमें वसीयत कर्ता द्वारा वादी का हरमन्दर सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह अंकित कराने के कारण राजस्व अभिलेख में वादी का नाम मन्दर सिंह व सुखमन्द सिंह अंकित हो गया है। राजस्व अभिलेख में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कृषि भूमि को हिस्सा, टेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने नाम मन्दर सिंह व सुखमन्द सिंह को संशोधित करवाकर हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह की घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। उक्त संशोधन के लिए वादी ने तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर व अन्य राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष निवेदन किया उन्होंने माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा का हेतु हिदायत दी। इस कारण वाद-हेतुक की उत्पत्ति से वाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री कृष्णपुर

है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त खातों में वादी का नाम हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी उरंग, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब घोषित करने के आदेश फरमावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 5513 दिनांक 20.09.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर पटवारी हलका द्वारा पूछताछ की गई जिसमें उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि हरमन्दर सिंह, मन्दर सिंह, सुखमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह तीनों एक की व्यक्ति है। हरमन्दर सिंह को ही तीनों नामों से जाना जाता है। साक्ष्यवादी में स्वयं वादी हरमन्दर सिंह के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। दस्तावेजात प्रदर्श करवाए गए। जो सामिल मिसल है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 4/4 की प्रति, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 6/6 की प्रति, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 38/38 की प्रति, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 51/50 की प्रति, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 59/59 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक खाता की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 4/4 में क्रमांक 13 पर दर्ज नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी उरंग, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 6/6 में क्रमांक 7 पर दर्ज नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी उरंग, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 38/38 में क्रमांक 5 पर दर्ज नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी उरंग, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 51/50 में क्रमांक 5 पर दर्ज नाम सुखमन्द सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी उरंग, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब, करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता में नाम हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार मौके पर पटवारी हलका द्वारा पूछताछ की गई जिसमें उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि हरमन्दर सिंह, मन्दर सिंह, सुखमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह तीनों एक की व्यक्ति है। हरमन्दर सिंह को ही तीनों नामों से जाना जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत 12 एच मोहला के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि हरमन्दर सिंह, मन्दर सिंह, सुखमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह तीनों एक की व्यक्ति है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट


उपस्थित अधिकारी (राजस्थान)
श्री करणपुर

तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 12 एच व वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में बादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 4/4 में क्रमांक 13 पर दर्ज नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच व चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 6/6 में क्रमांक 7 पर दर्ज नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 38/38 में क्रमांक 5 पर दर्ज नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 51/50 में क्रमांक 5 पर दर्ज नाम सुखमन्द सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर सुखमन्द सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद

जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं पेटेंट एंड एपेलेशन अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 11.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं पेटेंट एंड एपेलेशन अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकामे श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

हरमन्दर सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 74/2022

निर्णय दिनांक :- 11.11.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 4/4 में क्रमांक 13 पर दर्ज नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच व चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 6/6 में क्रमांक 7 पर दर्ज नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 38/38 में क्रमांक 5 पर दर्ज नाम मन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच, चक 10 एच, पटवार हल्का 13 एच टूडडा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 51/50 में क्रमांक 5 पर दर्ज नाम सुखमन्द सिंह पुत्र अजमेर सिंह के स्थान पर सुखमन्द सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 11.11.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक 11.11.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/557

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर